

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

आवेदन कैसे करें

- (क) जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को मांगी गई सूचना के विवरणों का उल्लेख करते हुए लिखित में अथवा अंग्रेजी या हिंदी अथवा क्षेत्र की राजभाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए आवेदन करें।
- (ख) सूचना मांगने के लिए कारण देना अपेक्षित नहीं है।
- (ग) यथा विहित शुल्क अदा करें (यदि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से नहीं हों)।
- (घ) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन के मामले में भारतीय स्टेट बैंक, निर्माण भवन, नई दिल्ली में वेतन एवं लेखाधिकारी, आईपीपी विभाग (डीडीओ खाता सं. 225427 में जमा होने हेतु) के पक्ष में आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक लगा हो।

सूचना प्राप्त करने की समय-सीमा

1. आवेदन की तारीख से 30 दिन
2. किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के संबंध में सूचना के लिए 48 घंटें।
3. यदि सूचनार्थ आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी को दिया गया है तो उत्तर देने की उपर्युक्त समय-सीमा में 5 दिन जोड़ दिए जाएंगे।
4. यदि तृतीय पक्ष के हित शामिल हों तो समय-सीमा 40 दिन होगी (अधिकतम अवधि + पक्षकार को अभ्यावेदन देने के लिए दिया गया समय)
5. विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में असफल रहने को इंकार करना माना जाएगा।

शुल्क

1. ऐसा आवेदन शुल्क विहित किया जाना जो अनिवार्यतः तर्कसंगत हो।
2. यदि और शुल्क अपेक्षित हो तो इसकी सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए कि इस राशि का परिकलन किस प्रकार किया गया।
3. आवेदक उचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करके पी आई ओ द्वारा वसूले गए शुल्क संबंधी निर्णय की समीक्षा करवा सकता है।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5. यदि पीआईओ विहित समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो आवेदक को सूचना निःशुल्क दी जानी चाहिए।

अस्वीकृति के आधार

- 1 यदि यह प्रकटीकरण से छूट में शामिल है (धारा 8)
- 2 यदि इससे राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन हो।
(धारा 9)

अपील

1. विभाग में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर पहली अपील।
2. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के समक्ष 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील।